–455/2020–21

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

श्री रूफेनुस डांगवार – विक्रेता

लीला तिड़ू – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
18.10.21		

आदेश

आवेदक श्री रूफेनुस डांगवार पिता स्व0 दाउद डांगवार ग्राम–सरवादा, थाना मुरहू, जिला खूँटी ने लीला तिड़ू पति श्री सोमरा मुण्डा ग्राम–भोन्डा भौवा टोली, पो0–जलटंडा, थाना मुरहू, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)
बिचना	262	67	224	0.10

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद 1481123353 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 698 दिनांक 09.09.2021 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि बिक्री केवाला पट्टा सं0 605/615 दिनांक 04.07.12 से क्रय की गयी है। खतियानी रैयत का नाम हिड़या मुण्डा वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार रूफेनुस डांगवार के नाम भूमि का 0.10 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 3.10 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2016–17 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित 7482.00(सात हजार चार सौ बिरासी)रू0 प्रति डीसमिल है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 3.00 एकड़ रह जाती है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना मुरहू के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, मुरहू ने क्रेता–विक्रेता को भूमि क्रय–विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, मुरहू से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण श्री रूफेनुस डांगवार को लीला तिड़ू पति श्री सोमरा मुण्डा के साथ ग्राम बिचना के खाता सं0 67 खेसरा संख्या 224 कुल रकबा 0.10 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 7482.00(सात हजार चार सौ बिरासी)रू0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खूँटी

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खूँटी।

Digitally signed by JITENDRA MUNDA
Date: 2021.11.07 22:32:04 -08:00
Location: 192.168.1.2